15/2/2021	वकील फरीकेन उपस्थित। पत्रावली में निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर हम फीला दावा रहे। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी करौली

पीठासीन अधिकारी :– देवेन्द्र सिंह परमार, आर.ए.एस.

मु0नं0 आर.सी.एम.एस तारीख रजू

14 / 2019 2019 / 00046 30.05.2019

श्रीमती गीता देवी पत्नि घसीडा आयु 56 वर्ष जाति कोली नि. पॉचना कॉलोनी के पीछे तहसील व जिला करौली (राज.)

–सायला

बनाम

1.कन्हैया पुत्र चिरंजी आयु वर्ष जाति जाटव नि. आडीहूडपुरा तहसील व जिला करौली (राज.)

–गैरसायल

2.लैण्ड होल्डर (तहसीलदार) करौली

प्रार्थना पत्र धारा 212 .आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक 15.02.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सायल के खातेदारी व कब्जेक काश्तकारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 5866 रकवा 16 विस्वा में हिस्सा 1 / 2 वाके कस्वा करौली पटवार हल्का नम्बर 09 तहसील करौली में स्थित है जिस पर सायल काविज काश्त चली हा रह है। सायल द्वारा भूमि केक 1 / 2 हिस्सा को पूर्व खातेदार त्रिलोक सिंह से जरिये वयनामा दिनांक 18.07.2017 को क्रम कर कब्जा प्राप्त किया है सायल की उक्त आराजी से लगी हुयी भूमि गैरसायल की है खसरा नम्बर 5866 में सायल व गैरसायल नम्बर 1 का 1 / 2 ,1 / 2 हिस्सा है सायल व गैरसायल के हिस्से की भूमि के वीच डोल हो रही है। सायल की डोल को गैरसायल द्वारा दिनांक 20.04.2019 को तोडकर अपनी जमीन में मिला दिया वादीया द्वारा अपने अपने खेत पर जाकर देखने पर सायल द्वारा गैरसायल से कहा कि यह खेत की डोल किसने तोडी है तो गैरसायल ने कहा किय यह मेरे द्वारा खेत की जुताई करावाई गई है तथा मैने डोल को तुडवाया है क्योकि इस डोल मं मेरे हिस्से की जमीन है। गैरसायल के इतना कहने पर सायल द्वारा गैरसायल से कहा गया कि इस जमीन का बटवारा अपने –अपने हिस्से 1 / 2 के अनुसार पूर्व खातेदारान द्वारा किया जा चुका है और मैं 0.8 विस्वा जमीन पर काविज हॅ सायल ने गैरसायल से भूमि के 1 / 2 हिस्सा का बटवारा कराने की कहा तो गैर सायल नाराज हो गया और बटवारा कराने से इन्कार कर दिया गैरसायल ने सायल को ऐलानिया धमकी देने एवं सायला के खेत की डोल तोडकर सायला की भूमि को अपने हिस्से मे करीव 5 फूट दवाने के कारण सायल को दावा व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है इस कारण सायल गैरसायल को अस्थाई निषेज्ञाधा से पाबन्द कराने की अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायल स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र सायल दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल न01 ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत कर कर सायल के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए कथन किया है सायल का उक्त आराजी में 1 / 2 हिस्सा नही है सायल 1 / 2 हिस्से की खातेदार काश्तकार नही है सायला का वादग्रस्त आराजी के 1 / 2 हिस्सा पर किसी प्रकार का कब्जा काश्त नही है ना कभी रहा है ना अब है वल्कि उक्त आराजी के 1 / 2 हिस्सा का सायला के पति धसीडा पुत्र कृष्णा ने दिनांक 10.04.1998 को खसरा नम्बर 5866 के 1 / 2 हिस्सा के साथ सम्पूर्ण आराजी को 1,21000 / रूपये में गैरसायल न01 को विकय कर कर साई पेटे 11000 / – रूपये उसी दिना नगद प्राप्त करा कर विकय इकरार आराजी पर कब्जा वर वक्त वयनामा कराने का

Signature Not Verified
Digitally Signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

इकरार यिका था और उसी दिन 100/— रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प किता 2 पर गैरसायलान 1 के हक में इकरारनामा तहरीर व तकमील करा कर टाईप करा कर अपने हस्ताक्षर धसीडा क`कर कर गवाही नरपत गूर्जर पीपलपुरा व समय सिंह गुर्जर वजीरुपर गेट बाहर करौली के हस्ताक्षर करा कर नोटेरी पब्लिक ओमप्रकाश शर्मा नयर एडवोकेट करौली से प्रमाणित कराकर गैर सायल न01 के सुर्पद कर और और खसरा नम्बर 5866 के 1/2 हिस्सा की कीमत 55000/— रूपये तय कर मानही गयी वाकी रकम 44000/— रूपये वर वयनामा प्राप्त करने का इकरार किया था औश्र जन भी गैरसायल न01 कहेगा तब वयनामा कराने का वायदा किया था और दिनांक 15.05.2000 को सायल के पति घसीडा ने गैरसायल न01 से 44000/— रूपये रमेश गुर्जर आडीहुण्डपुरा के समक्ष प्राप्त कर कर उक्त आराजी के 1/2 हिस्सा पर कब्जा सम्भलवा दिया और वयनामा गैरसायल न01 के कहने पर पंजीयन करने का वायदा मौखिक किया परन्तु सायल के पति धसीडा ने वदनीयति से उक्त वयनामा त्रिलोक सिह से अपनी पत्नि सायला के हक में दिनांक 18.07.2017 को गैरसायल न01 से छुपाते हुऐ करा दिया है। उक्त वयनामा वहक सायला कह इकूक गैरसायल न01 पर प्रभावहीन व शून्य है और बाध्यकारी नही है सायल दावा व दर0 की आड में अपने पति घसीडा से साजिश करा कर भूमि को हडपना व छीनना चाहते है और गैरसायल न01 को जवरन वेदखल करना चाहती है जिसके सायला को कोई अधिकार नही सायला के आज जमाबन्दी इन्द्राज के सबब यह दावा व डर पेश किये है प्रार्थना पत्र सायला कब्जे के अभाव में चलने योग्य नही है गैरसाल न0 1 को आराजी के 1/2 हिस्सा से महरूम करने की नीयत से त्रिलोक सिंह से सायला अपनी पत्नि के हक में इकरारनामा के पालन से बचने के लिए कूट रचित व सजिश पंजीयन कराया है सायल को त्रिलोक सिंह ने भूमि के 1/2 हिस्सा पर कब्जा नही दिया नाही सायला कब्जा प्राप्त किया है। कब्जा गैरसायल न01 का है गैरसायल की भूमि में रहवास मकानीयत पाटौर पोश बनी हुई है, सायला का कोई कब्जा हक वादग्रस्त भूमि ने नही है सायला कोई अस्थाई निषेधाज्ञा गैर सायलान के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नही है। अन्त में प्रार्थना पत्र सायला खारजि किये जाने का निवेदन किया है।

वहस वकील उभयपक्ष का मनन किया पत्रवाली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2075 में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 5866 रकवा 16.00 विस्वा सायला व गैरसायल न0 1 के 1/2,1/2 हिस्से खातेदारी में दर्ज है। एवं सायला के पति द्वारा दिनांक 10.04.1998 वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से को जरिये इकरारनामा गैरसायल न01 को विक्रय करने को इकरार किया है। जिसकी फोटो प्रति गैरसायल न01 पत्रावली में प्रस्तुत की है। जिससे उभयपक्ष मध्य सदभावी विवाद प्रकट होता है।जो उभयपक्ष की साक्ष्य के वाद दावा के अन्तिम निर्णय से तय होना है, जिससे प्राईमाफेसी केश व सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णीयक्षति वाद्रगस्त भूमि की राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति एवं भूमि को रहन वय रोकने के लिए उभयपक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने में है। प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाता है

उभयपक्ष को ताफैसला वादपत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 5866 रकवा 16 विस्वा कस्वा करौली पटवार हल्का न09 तहसील करौली को रहन वय नहीं करें। रिकार्ड स्थिति यथावत रखे।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2021 खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Singh Parmar
Date: 2021.03.16 12:01:58 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र सिंह परमार)
उपखण्ड अधिकारी
करौली

Scanned with CamScanner